

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 31/2019 आवंटन निरस्त

- | | | |
|---|-------------|---|
| 1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा | बनाम | 1. नरेश, गायत्री, सरिता पिता कन्हैयालाल, घीसी पत्नी कन्हैयालाल निवासी नयागांव तहसील बिजौलिया
2. प्रभुलाल पिता दौला धाकड निवासी नयागांव, तहसील बिजौलियां
3. सुनील पिता शम्भूलाल, कमला पत्नी शम्भूलाल धाकड निवासी नयागांव
4. जडाव पुत्री दौला धाकड निवासी नयागांव
5. रामी पुत्री दौला धाकड निवासी नयागांव
6. गुलाबी पुत्री दौला धाकड निवासी नयागांव
7. शंकरलाल, रमेश, मांगी, कान्ती पिता तुलसीराम, गंगादेवी पत्नी तुलसीराम धाकड निवासी नयागांव
8. गोपाल, छीतर पिता चुन्नीलाल धाकड निवासी नयागांव
9. मोहन पिता हीरालाल धाकड निवासी नयागांव तहसील बिजौलियां |
|---|-------------|---|

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम, 1970

उपस्थित –

1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं – एक तरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 18.12.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षी के विरुद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षीगण को ग्राम नया गांव पटवार हल्का जावदा की आ.न. 1097/1 रकबा 2.03 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय दिनांक 24.02.1976 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी की मृत्यु होने पर आवंटी के वारिसान के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी के वारिसान का मौके पर कभी भी कब्जा व काश्त नहीं है। आवंटी की आवंटनशुदा भूमि राजस्व नक्शों में तरमीम नही होने से आवंटी की आवंटन आराजी पर भी कब्जा नही होना पाया गया। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दिनांक 18.06.2019 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किए गए। विपक्षी बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षीगण को ग्राम नया गांव पटवार हल्का जावदा की आ.न. 1097/1 रकबा 2.03 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय दिनांक 24.02.1976 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी की मृत्यु होने पर आवंटी के वारिसान के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी के वारिसान का मौके पर कभी भी कब्जा व काश्त नहीं है। आवंटी की आवंटनशुदा भूमि राजस्व नक्शों में तरमीम नही होने से आवंटी की आवंटन आराजी पर भी कब्जा नही होना पाया गया। अप्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की हैं। प्रार्थना पत्र के समर्थन में पटवार हल्का नया गांव का मौका पर्चा, ग्राम नया गांव की जमाबंदी संवत् 2073-2076 की प्रति प्रस्तुत की हैं।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट ग्राम नया गांव में अंकित किया हैं कि ग्राम नया गांव के आ.न. 1097/1 रकबा 2.03 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय में मौके पर आवंटी के वारिसान का कब्जा काश्त नहीं हैं तथा मौके पर रास्ता भी निकल रहा हैं। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव—

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू-आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम नया गांव के आराजी नं. 1097/1 रकबा 2.03 बीघा भूमि आवंटन दिनांक 24.02.1976 को खारिज किया जाता हैं एवं तहसीलदार बिजोलियां को निर्देश दिये जाते हैं कि ग्राम नया गांव की आ.न. 1097/1 रकबा 2.03 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजोलियां को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

